क्रम-संख्या-149

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020
भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1572/79-वि-1-20-1(क) 24-20
लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 9 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन 2018 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

(च च) "स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालयों के मण्डलीय अपीलीय प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय के प्राधिकरण से है,

(ख) खण्ड (य) निकाल दिया जायेगा।

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में, निम्नलिखित उपधारा (3) बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

(3) "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, असाधारण स्थितियों या आपात जैसी परिस्थितियों, जो दैवीय कृत्यों, महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों या क्रांतियों, जनान्दोलनों, बाढ़ों आदि तक सीमित न हों, में राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष हेतु विद्यमान छात्रों व नव प्रवेशित छात्रों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा ऐसे समय तक जब तक पूर्वोक्त संभाव्यताएं विद्यमान हों या ऐसे समय तक जैसा कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन प्रतीत हो, प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का विनियमन कर सकती है।

धारा 8 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

(11) जहाँ मान्यता प्राप्त विद्यालय या कोई व्यक्ति, जिला शुल्क नियामक समिति के विनिश्चय से व्यथित हो,वहाँ वह ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर यथा विहित रीति से अपील, धारा 9 में निर्दिष्ट मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण को कर सकता है।

धारा 9 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

"मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण";

(ख) उपधारा (1), (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात:—

(1) राज्य के समस्त मण्डलों में एक स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय प्राधिकरण होगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

1—मण्डलीय सभापति—आयुक्त

2—अपर निदेशक, कोषागार—सदस्य

3—मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक—सदस्य सचिव

उपरोक्त अपीलीय प्राधिकारी अपेक्षानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट की सहायता ले सकते हैं;

(2) उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 11 में उपबन्धित कोई अपीलीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक कि सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना के माध्यम से राज्य के समस्त मण्डलों में मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण का गठन न कर दिया जाय,

(3) अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील की सुनवाई के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम सख्या 5 सन् 1908) के अधीन उपबन्धित सिविल न्यायालय और अपील न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित विनिश्चय अन्तिम होगा।

धारा 11 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 11 में शब्द "राज्य स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2020

निरसन और व्यावृत्ति

7—(1) उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालयों में शुल्क विनियमन तथा उससे सम्बन्धित या अनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2018) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में विद्यमान छात्रों के लिए वार्षिक शुल्क में वृद्धि करने और नये छात्रों के लिए वार्षिक शुल्क का अवधारण करने का उपबन्ध था। तथापि, आपात/विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा लोकहित में शुल्क वृद्धि को विनियमित करने हेतु विद्यालयों को अनुदेश देने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। पूर्वोक्त अधिनियम में मण्डलीय अपील प्राधिकरण के लिए भी उपबन्ध नहीं था। अतएव यह विनिश्चय किया कि ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों को प्राप्त करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 जून, 2020 को उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

जे0पी0 सिंह—II,

प्रमुख सचिव।